741

[2019] 13 एस. सी. आर 741

क.

एभा अर्जुन जड़ेजा और ओ. आर. एस. बनाम

गुजरात राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1692) 16 अक्टूबर, 2019

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम, 1987 -धारा 20-ए (1)-का अनुपालन-तीन अभियुक्त व्यक्तियों को रोका गया और पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलाशी ली गई-पुलिस ने उनके पास से एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और 2 देशी तमंचा बरामद किए-यू/एस. एस. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।25(1)((ख) शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम और यू/एस।5 जिला पुलिस अधीक्षक की मंजूरी प्राप्त करने के लिए टाडा अधिनियम और व्यवस्था की गई थी।20(टाडा अधिनियम के ए (1)-अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एस के संदर्भ में।20-टाडा अधिनियम के ए (1) के अनुसार, टाडा अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की मंजूरी के बिना दर्ज नहीं की जा सकती थी और इसलिए, यह टाडा अधिनियम के तहत पूरी कार्यवाही को दूषित करता है।एस के प्रावधान।20-ए (1) अनिवार्य हैं-यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा टाडा अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।20-टाडा का ए (1) यू/एस द्वारा दर्ज की गई जानकारी पर लागू होता है।154 Cr.P.C-यह प्रतिबंध किसी रक्षा या पुलिस अधिकारी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए संचार पर लागू नहीं होगा-कोई भी जानकारी यू/एस दर्ज नहीं की जा सकती है।154 Cr.P.C. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना टाडा अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए-इसके अलावा, यह देखा जाना चाहिए कि जहां जानकारी मूल रूप से टाडा अधिनियम के तहत अपराध का खुलासा करती है और अन्य अपराध एक सहायक अपराध की प्रकृति में अधिक है, तो सूचना को धाराओं के प्रावधानों का पालन किए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता है।20-टाडा अधिनियम का ए (1)-प्रत्येक मामले के तथ्यों में इसका निर्णय लेना होगा-तत्काल मामले में, केवल दर्ज की गई जानकारी जो एक अपराध है, वह थी हथियारों की बरामदगी-जिस क्षेत्र में आरोपी हथियार ले जा रहे थे, उसे टाडा अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था और अधिसूचित क्षेत्र में हथियार ले जाना ही टाडा अधिनियम के तहत एक अपराध है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

741 ए.

742 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

– इस मामले में बलात्कार, हत्या आदि का कोई अन्य अपराध नहीं था-इसलिए वर्तमान मामले में, धाराओं का पालन न करना। 20-ए (1) टाडा अधिनियम के तहत कार्यवाही को दूषित करता है-तदनुसार, जहां तक टाडा अधिनियम के तहत अपराध का संबंध है, अपीलार्थियों को आरोपमुक्त किया जाता है, हालांकि, उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम-शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।25(1)(ख), 27-बॉम्बे पुलिस अधिनियम -s.135।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.**आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ **(**रोकथाम**)** अधिनियम**, 1987** की धारा **20-**ए की भाषा प्रकृति में अनिवार्य है।यह एक गैर**-**अस्थाई खंड से शुरू होता है।यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा टाडा अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।**[**पैरा **6] [747-**सी**]**

ग

2. **'**एफ़**.** आई**.** आर**.'** शब्द का उपयोग सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **154** में नहीं किया गया है**,** हालाँकि अब इसका उपयोग आमतौर पर धारा **154** के तहत दर्ज जानकारी के संबंध में किया जाता है।इसलिए**,** जब भी किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है**,** तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उस जानकारी को उस पुस्तक में दर्ज करने के लिए बाध्य होता है जिसे ऐसे अपराधों के लिए ऐसे रूप में रखा जाना चाहिए जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।टाडा अधिनियम की धारा **20-**ए **(1)** के तहत सूचना की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है।यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विधानमंडल टाडा अधिनियम में धारा **20-**ए **(1)** को लागू करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **154** के प्रावधानों से भी अवगत था। इसलिए**,** स्पष्ट इरादा यह था कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना टाडा अधिनियम के तहत अपराध की कोई भी जानकारी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **154** के तहत दर्ज नहीं की जाएगी।वर्ष **1993** में संशोधन द्वारा टाडा अधिनियम में धारा **20-**ए **(1)** को शामिल करने का कारण यह था कि टाडा अधिनियम के प्रावधान बहुत सख्त थे**,** इसलिए विधानमंडल ने महसूस किया कि एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले को देखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टाडा के तहत अपराध किया गया है और फिर मंजूरी दी जाए।**[**पैरा **13] [751-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

3. टाडा अधिनियम की धारा **20-**ए **(1)** के तहत प्रतिबंध सीआरपीसी की धारा **154** के तहत दर्ज जानकारी पर लागू होता है। यह प्रतिबंध किसी रक्का या पुलिस अधिकारी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए संचार पर लागू नहीं होगा।

एच.

743

ई. बी. एच. ए. अर्जुन जडेजा और ओ. आर. एस. बनामगुजरात राज्य ए

क.

अन्यथा**,** मंजूरी के लिए कोई संचार नहीं हो सकता था**,** जो टाडा अधिनियम का उद्देश्य नहीं हो सकता था। **[**पैरा **14] [751-**एफ**]**

4. प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना है।पुलिस अधिकारी**,** जिला पुलिस अधीक्षक नहीं होने के नाते**,** किसी अपराध की सूचना प्राप्त कर सकता है और अपराध स्थल पर पहुंच सकता है।वह मौके पर जानकारी दर्ज कर सकता है और फिर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में रुक्का भेज सकता है। हत्या**,** बलात्कार**,** नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट**, 1985,** प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस **(**पॉक्सो**)** एक्ट**, 2012** आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले हो सकते हैं**,** जहां जांच में कोई भी देरी घातक है।इन मामलों में**,** पुलिस अधिकारी को जानकारी दर्ज करने का अधिकार है**,** जिनमें से कुछ टाडा अधिनियम के तहत अपराध का संकेत दे सकते हैं**,** क्योंकि मुख्य अपराध के संबंध में जानकारी दर्ज न करने से जांच में देरी हो सकती है और मामले में उचित जांच में बाधा आ सकती है।ऐसे मामलों में**,** सूचना दर्ज करते समय और प्राथमिकी दर्ज करते समय**,** टाडा अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के लिए**,** संबंधित पुलिस अधिकारी टाडा अधिनियम की धारा **20-**ए **(1)** के तहत मंजूरी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

हत्या, बलात्कार, तस्करी, मादक पदार्थ, पॉक्सो अधिनियम आदि के गंभीर मामलों की जांच में केवल इसलिए देरी नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें टाडा अधिनियम भी शामिल है।[पैरा **15] [751-**जी-एच**; 752-**ए-सी**]**

ग

डी.

ई.

5. साथ ही, जहां जानकारी मूल रूप से टाडा अधिनियम के तहत एक अपराध का खुलासा करती है और अन्य अपराध एक सहायक अपराध की प्रकृति में अधिक है, तो जानकारी को टाडा अधिनियम की धारा **20-**ए **(1)** के प्रावधानों का पालन किए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों में इसका फैसला करना होगा।हाथ में मामले में, एकमात्र दर्ज की गई जानकारी जो एक अपराध है, हथियारों की बरामदगी है।पुलिस अधिकारियों को पता होना चाहिए कि यह क्षेत्र टाडा अधिनियम के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र है और इसलिए, एक अधिसूचित क्षेत्र में इस तरह के हथियारों को ले जाना ही टाडा अधिनियम के तहत एक अपराध है। यह सच है कि यह शस्त्र अधिनियम के तहत भी एक अपराध हो सकता है, लेकिन शस्त्र अधिनियम और टाडा अधिनियम दोनों के तहत अपराध का गठन करने के लिए मूल सामग्री समान है यानी टाडा अधिनियम के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र में निषिद्ध हथियारों की बरामदगी। शस्त्र अधिनियम और टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य भी है

च

जी.

एच.

एक ही।इस मामले में बलात्कार, हत्या आदि का कोई अन्य अपराध नहीं है।इसलिए, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, टाडा अधिनियम की धारा **20-**ए **(1)** का पालन न करना घातक है और जहां तक टाडा अधिनियम के तहत अपराध का संबंध है, अपीलार्थियों को आरोपमुक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। **[**पैरा **16] [752-**डी**-**एफ**]**

रंगकू दत्ता @रंजन कुमार दत्ता बनाम राज्य

असम (2011) 6 एससीसी 358:[2011] 8 एस. सी. आर. 239;

अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा और ए. एन. आर. बनामकी स्थिति

गुजरात **(1995) 5** एस**.** सी**.** सी**. 303:[2012] 12** एससीआर **1033;**

ग

अशरफखान और अन्न बनामगुजरात राज्य (2012) 11 एससीसी

606 :[2012] 12 एससीआर 1033; हुसैन घडियाली और ओआरएस. वी.गुजरात राज्य (2014) 8 एससीसी 425: [2014] 9 एस. सी. आर. 364-पर निर्भर।

निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

[2011] 8 एस**.** सी**.** आर**. 239**

पर भरोसा किया

पैरा **7**

[2012] 12 एससीआर **1033**

पर भरोसा किया

पैरा **8**

[2012] 12 एससीआर **1033**

पर भरोसा किया

पैरा **9**

[2014] 9 एससीआर **364**

पर भरोसा किया

पैरा **10**

ई.

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2009 की आपराधिक अपील सं. 1692।

1995 के विशेष टाडा मामला संख्या 6 में पोरबंदर में नामित न्यायालय के दिनांक 16.07.2009 के निर्णय और आदेश से।संजय जैन, सुदर्शन सिंह रावत, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. अभियुक्त द्वारा यह अपील नामित टाडा अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसके तहत अभियुक्तों द्वारा दायर आवेदन कि उन्हें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'टाडा अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 20-ए (1) का पालन न करने के कारण आरोपमुक्त किया जाना चाहिए, खारिज कर दिया गया था।

एच.

745

ई. बी. एच. ए. अर्जुन जडेजा और ओ. आर. एस. बनामगुजरात राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

क.

2. संक्षेप में मामले के तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी नं. 1/अभियुक्त सं। 1, एभा अर्जुन जडेजा, क्राइम नं. II-3/1994 उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1B) (a) और 27 के तहत और टाडा अधिनियम आदि की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज किया गया।

3. अभियोजन पक्ष का कहना है कि 10.04.1995 पर, जब पुलिस निरीक्षक सी. जे. सिंह कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कुटियाना में रात भर काम कर रहे थे और शराब तस्करों पर गुप्त नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें कुछ जानकारी मिली कि अपीलकर्ता नं. 1, जो अपराध सं. 1 में फरार था। II-3/1994, एक मोटर वाहन में अपने गाँव आ रहा था।पुलिस निरीक्षक ने दो गवाहों की व्यवस्था की और प्रारंभिक पंचनामा तैयार करने के बाद, लगभग 1.00-1.15 बजे एक सरकारी जीप में कुटियाना से रवाना हुए।

उन्होंने एक नाका लगाया और लगभग 2.45 बजे, एक मोटर वाहन गाँव गरेज के किनारे से आया।गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया और वह रुक गई।अभियुक्त नं. 1 चालक की सीट पर बैठा हुआ पाया गया।पुलिस ने मोटर वाहन की घेराबंदी कर दी जिसमें दो अन्य व्यक्ति (अपीलार्थी nos.2 और 3) भी बैठे थे।इन तीनों व्यक्तियों को नीचे उतरने और अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए कहा गया।इन तीन व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर निम्नलिखित बरामदगी की गईः

ग

डी.

एस. नहीं।	अभियुक्त का नाम	पुनर्प्राप्ति
1	एभा अर्जुन जडेजा	1. एक विदेशी निर्मित 9 एम. एम. बेरेटा पिस्तौल और तीन जीवित कारतुस और एक दागे गए कारतुस, जिसकी कीमत रु. 2. एक 32 बोर की विदेशी निर्मित रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतुस, जिनकी कीमत रु। 50, 250/-। 3. एक गोली का खोखा
2	बच्चू भिखा मेर	एक 315 बोर का देशी तमंचा, जिसकी कीमत रु। 3, 000/-।
3	केशु चना मेर	एक 12 बोर का देशी तमंचा, जिसकी कीमत रु। 2, 000/-।

ई.

च

जी.

4. तीन अभियुक्त व्यक्ति कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके और उपरोक्त हथियार जब्त कर लिए गए।यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन उसी एफ. आई. आर. में अधिकारी ने निम्नानुसार भी दर्ज कियाः

एच.

"मेर एभा अर्जन के पास से एक 9 एमएम अर्ध स्वचालित प्रतिबंधित विदेशी निर्मित पिस्तौल और उसमें भरे हुए उसके कारतुस और जापान निर्मित रिवॉल्वर और भरे हुए स्थिति में उसके कारतुस पाए गए।जिसमें से, यह पिस्तौल और डिब्बे की नली से आने वाली गंध से बन जाता है कि इसका उपयोग कुछ समय पहले गोलीबारी के लिए किया जाता है।जडेजा एभा अर्जन के साथ दो व्यक्तियों में से, मेर बाचू भीम और मेर केशु चना भी, दो देशी तमंच पाए जाते हैं और मेर एभा अर्जन पोरबंदर क्षेत्र में गुंडों का एक गिरोह नेता है और उन परिस्थितियों में, उपरोक्त व्यक्ति एक राजदूत कार संख्या में पाए जाते हैं।जीजे-एम-8905 और ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोई भी आतंकवादी गतिविधि करने जा रहे हैं और इसलिए तीनों व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (बी. ए.), 27 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 और मोटर कार एंबेसडर नं.इस मामले में जीजेएम-8905 का मूल्य Rs.100000-भी जब्त किया गया था।

ग

डी.

इसलिए, यह उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (बी. ए.), 27 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध के लिए मेरी शिकायत है। मेरे गवाह मेरे और पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों के साथ पंच हैं जो जाँच के दौरान पाए जाते हैं।

ई.

उपरोक्त व्यक्तियों के पास शस्त्र नियम 1962 अनुसूची-1 वर्ग-1 और वर्ग-3 (ए) कॉलम नं.2 और 3 सार्वजनिक क्षेत्र में और इसलिए, टाडा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध भी बनाया गया है और इसलिए, पंचनामा और एफ. आई. आर. की प्रतियों और अभियुक्तों की पहचान पत्रों के साथ एक रिपोर्ट बनाकर अधिनियम की धारा 20 (ए) (1) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, पोरबंदर की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।"

च

5. इसके बाद उसी दिन जिला पुलिस अधीक्षक ने पहले से दर्ज अपराधों में टाडा अधिनियम की धारा 5 जोड़ने की मंजूरी दे दी। अपीलार्थियों की शिकायत है कि टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के संदर्भ में, अधिनियम के तहत अपराध के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की मंजूरी के बिना दर्ज नहीं की जा सकती थी।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि कार्रवाई की पूरी शुरुआत जिसमें अपराध No.II.28/1995 जिला ए की मंजूरी के बिना दर्ज किया गया था।

जी.

एच.

पुलिस अधीक्षक, जहाँ तक वे टाडा अधिनियम के तहत शुरू की गई हैं, पूरी कार्यवाही को दूषित करते हैं।

6. टाडा अधिनियम की धारा 20-ए निम्नानुसार हैः

" 20-ए. अपराध का संज्ञान।—(1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।(2) इस अधिनियम के तहत कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

ग

खंड की भाषा प्रकृति में अनिवार्य है।यह एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होता है।यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा टाडा अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।

7. धारा 20-ए (1) के प्रावधान अनिवार्य हैं।यह मुद्दा

डी.

अब रेस इंटीग्रा नहीं है।रंगकू दत्ता @रंजन कुमार दत्ता में

v. असम राज्य 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान, जिसे नकारात्मक शब्दों में जोड़ा गया था, प्रकृति में अनिवार्य है।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

“18. यह स्पष्ट है कि धारा 20-ए (1) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है।सबसे पहले, यह एक ओवरराइडिंग खंड के साथ शुरू होता है और उसके बाद, अपनी अनिवार्य प्रकृति पर जोर देने के लिए, यह ओवरराइडिंग खंड के बाद "नहीं" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।जब भी किसी क़ानून का इरादा अनिवार्य होता है, तो उसे एक नकारात्मक आदेश के साथ पहना जाता है।इस संबंध में जी. पी. सिंह का उल्लेख किया जा सकता है।

ई.

च

सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 वीं संस्करण।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी इस पर भरोसा रखा

अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेजा और अन्र में इस न्यायालय का निर्णय।

v. गुजरात राज्य 2.इस मामले में आरोपी के खिलाफ शुरू में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दर्ज करने के लिए मंजूरी देने के बजाय, अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट दी, जिसमें टाडा अधिनियम के तहत आगे बढ़ने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टाडा अधिनियम के तहत आगे बढ़ने की मंजूरी दी। इनसे निपटना

जी.

1 (2011) 6 एस. सी. सी. 358 2 (1995) 5 एस. सी. सी. 303

एच.

इस मुद्दे पर कि क्या धारा 20-ए (1) का उल्लंघन किया गया था और क्या अभियोजन पक्ष को दूषित किया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की हैः“11. अपीलार्थियों के खिलाफ मामला मूल रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत 19-3-1995 पर दर्ज किया गया था। डी. एस. पी. ने टाडा के तहत अपराध के बारे में कोई जानकारी दर्ज करने के लिए अपने दम पर कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी। इसके विपरीत, उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट दी और टाडा के तहत आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। क्यों?क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह धारा 20-ए (1) के प्रावधान द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अनिच्छुक था?यह एक प्राधिकरण को वास्तव में दूसरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का मामला है।यदि किसी वैधानिक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र के साथ निहित किया गया है, तो उसे अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करना होगा।यदि विवेक का प्रयोग निर्देश के तहत या किसी उच्च प्राधिकारी के निर्देश के अनुपालन में किया जाता है, तो यह पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करने में विफलता का मामला होगा।

दूसरे शब्दों में, इस मामले में धारा 20-ए (1) द्वारा डी. एस. पी. में निहित विवेकाधिकार का डी. एस. पी. द्वारा बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था।"

ग

डी.

9. इसी तरह का मामला इस अदालत के समक्ष अशरफखान और अन्न बनाम.गुजरात राज्य **3.**टाडा अधिनियम की धारा **20**-ए **(1)** के गैर-अनुपालन के परिणामों के मुद्दे पर विचार करते हुए**,** इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

ई.

27. यहां यह उल्लेखनीय है कि टाडा, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, में यह प्रावधान नहीं था और इसे आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1993 (1993 का 43) की धारा 9 द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त प्रावधान के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा अपराध करने के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी।विधायिका ने टाडा की धारा 20-ए (1) में नकारात्मक शब्द का उपयोग करके अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था।टाडा की योजना सामान्य आपराधिक कानूनों से अलग है और इसलिए, इसके प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।नकारात्मक शब्दों को शायद ही कभी निर्देशिका में रखा जा सकता है।सादा, साधारण व्याकरणिक अर्थ विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करता है।

च

जी.

3 (2012) 11 एससीसी 606 ए

एच.

749

एभा अर्जुन जड़ेजा और ओ. आर. एस. बनामगुजरात राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

कानून के अर्थ को समझने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लिया जाता है यदि भाषा अस्पष्ट है या बेतुका परिणाम की ओर ले जाती है।यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है।इसके बावजूद, सैद्धांतिक रूप से, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को प्रकृति में निर्देशिका नहीं कहा जा सकता है।"

इसके बाद, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया और यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

“37. राज्य की दलील है कि पुलिस आयुक्त द्वारा टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी दिए जाने के बाद, अभियुक्त की दोषसिद्धि को केवल उपायुक्त द्वारा धारा 20-ए (1) के तहत मंजूरी के अभाव के आधार पर गलत नहीं माना जा सकता है।जैसा कि पहले देखा गया है, टाडा के प्रावधान कड़े हैं और परिणाम गंभीर हैं और उत्पीड़न को रोकने के लिए, विधायिका ने अपने विवेक से विभिन्न चरणों में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए थे।इसने अनिवार्य किया है कि टाडा के तहत अपराध के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।इतना ही नहीं, पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेने के लिए अदालत को और सुरक्षा प्रदान की गई है और प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों अलग-अलग और अलग-अलग चरणों में काम करते हैं और इसलिए, सफल अभियोजन के लिए दोनों आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।हमें कोई सिद्धांत नहीं मिला है और न ही हम यह निर्धारित करने के लिए इच्छुक हैं कि ऐसे मामले में जिसमें विभिन्न चरणों में अलग-अलग सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, अंतिम सुरक्षा का पालन केवल प्रासंगिक होगा और अन्य सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा।इसलिए, हम राज्य के इस तर्क को खारिज करते हैं कि जब पुलिस आयुक्त ने टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी दी थी, तो उपायुक्त द्वारा टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत मंजूरी के अभाव के आधार पर आरोपी अपनी दोषसिद्धि पर हमला नहीं कर सकते।

ग

डी.

ई.

च

जी.

अदालत ने आगे कहा कि धारा 20-ए का गैर-अनुपालन एक उपचार योग्य दोष नहीं था और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 465 के संदर्भ में ठीक नहीं किया जा सकता था।

एच.

10. इसके बाद हुसैन घडियाली और ओआरएस बनाम।की स्थिति

गुजरात **4,** टाडा अधिनियम की धारा **20**-ए से निपटने वाले इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"21. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है और नकारात्मक वाक्यांशों में जोड़ा जाता है।यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा टाडा के तहत अपराधों के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।" इसके बाद, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया और यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

ग

"29. इसलिए, उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है, टाडा के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के मुकदमे और दोषसिद्धि को उस कारण से दूषित माना जाना चाहिए।

डी.

11. इसलिए कानून स्पष्ट है कि यदि टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) का पालन नहीं किया जाता है, तो यह पूरी कार्यवाही को दूषित कर देता है।12. प्रत्यर्थियों की ओर से, यह आग्रह किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के संदर्भ में, जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।यह भी आग्रह किया जाता है कि टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) जानकारी दर्ज करने पर रोक लगाती है, लेकिन यह विशेष रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक नहीं लगाती है। यह भी आग्रह किया जाता है कि जिला पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेना है और इसलिए, कुछ जानकारी उनके सामने रखी जानी चाहिए और उसके बाद ही वह यह तय कर सकते हैं कि मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।जहाँ तक अंतिम निवेदन का संबंध है, उसके संबंध में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।जाहिर है, जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक को देनी होगी, लेकिन यह जानकारी विशेष रूप से जिला पुलिस अधीक्षक को संबोधित संचार की प्रकृति में हो सकती है, न कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जानकारी दर्ज करने के लिए रजिस्टर या पुस्तक में दर्ज की जा रही जानकारी की प्रकृति में। हम सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के शुरुआती हिस्से का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

ई.

च

जी.

"154. संज्ञेय मामलों में जानकारी।-(1) हर जानकारी

संज्ञेय अपराध करने से संबंधित, यदि मौखिक रूप से दिया जाता है

किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित सूचना दी जाएगी और उसे सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित सूचना में घटाई गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करेः

XXX "

XXX

XXX

13. 'एफ. आई. आर.' शब्द का उपयोग सी. आर. पी. सी. की धारा 154 में नहीं किया गया है, हालांकि अब इसका उपयोग आमतौर पर धारा 154 के तहत दर्ज जानकारी के संबंध में किया जाता है।इसलिए, जब भी किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उस जानकारी को उस पुस्तक में दर्ज करने के लिए बाध्य होता है जिसे ऐसे अपराधों के लिए ऐसे रूप में रखा जाना चाहिए जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के तहत सूचना की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है।हम यह मान सकते हैं कि विधानमंडल टाडा अधिनियम में धारा 20-ए (1) को लागू करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के प्रावधानों से भी अवगत था। इसलिए, स्पष्ट इरादा यह था कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना टाडा अधिनियम के तहत अपराध की कोई भी जानकारी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज नहीं की जाएगी।वर्ष 1993 में संशोधन द्वारा टाडा अधिनियम में धारा 20-ए (1) को शामिल करने का कारण यह था कि टाडा अधिनियम के प्रावधान बहुत सख्त थे, इसलिए विधानमंडल ने महसूस किया कि एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले को देखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टाडा के तहत अपराध किया गया है और फिर मंजूरी दी जाए।14. टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के तहत प्रतिबंध सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज जानकारी पर लागू होता है। यह प्रतिबंध किसी रक्का या पुलिस अधिकारी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए संचार पर लागू नहीं होगा।अन्यथा, मंजूरी के लिए कोई संचार नहीं हो सकता था, जो टाडा अधिनियम का उद्देश्य नहीं हो सकता था।

ग

डी.

ई.

च

15. प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना है।पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक नहीं होने के नाते, किसी अपराध की सूचना प्राप्त कर सकता है और अपराध स्थल पर पहुंच सकता है।वह मौके पर जानकारी दर्ज कर सकता है और फिर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में रुक्का भेज सकता है। हत्या, बलात्कार, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण जैसे गंभीर अपराधों के मामले हो सकते हैं।

जी.

एच.

यौन अपराध (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 आदि जहां जांच में कोई भी देरी घातक है।इन मामलों में, पुलिस अधिकारी को जानकारी दर्ज करने का अधिकार है, जिनमें से कुछ टाडा अधिनियम के तहत अपराध का संकेत दे सकते हैं, क्योंकि मुख्य अपराध के संबंध में जानकारी दर्ज न करने से जांच में देरी हो सकती है और मामले में उचित जांच में बाधा आ सकती है।ऐसे मामलों में, सूचना दर्ज करते समय और प्राथमिकी दर्ज करते समय, टाडा अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के लिए, संबंधित पुलिस अधिकारी टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के तहत मंजूरी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। हत्या, बलात्कार, तस्करी, मादक पदार्थ, पॉक्सो अधिनियम आदि के गंभीर मामलों की जांच में केवल इसलिए देरी नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें टाडा अधिनियम भी शामिल है।

ग

16. साथ ही, जहां जानकारी मूल रूप से टाडा अधिनियम के तहत एक अपराध का खुलासा करती है और अन्य अपराध एक सहायक अपराध की प्रकृति में अधिक है, तो जानकारी को टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के प्रावधानों का पालन किए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों में इसका फैसला करना होगा।हाथ में मामले में, एकमात्र दर्ज की गई जानकारी जो एक अपराध है, हथियारों की बरामदगी है।पुलिस अधिकारियों को पता होना चाहिए कि यह क्षेत्र टाडा अधिनियम के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र है और इसलिए, एक अधिसूचित क्षेत्र में इस तरह के हथियारों को ले जाना ही टाडा अधिनियम के तहत एक अपराध है। यह सच है कि यह शस्त्र अधिनियम के तहत भी एक अपराध हो सकता है, लेकिन शस्त्र अधिनियम और टाडा अधिनियम दोनों के तहत अपराध का गठन करने के लिए मूल सामग्री समान है यानी टाडा अधिनियम के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र में निषिद्ध हथियारों की बरामदगी। शस्त्र अधिनियम और टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने का सबूत भी वही है।इस मामले में बलात्कार, हत्या आदि का कोई अन्य अपराध नहीं है।इसलिए, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) का गैर-अनुपालन घातक है और हमारे पास टाडा अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में अपीलार्थियों को आरोपमुक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 17.जैसा कि हमने ऊपर बताया है, स्थिति अलग हो सकती है, जहां एक उदाहरण देने के लिए, पुलिस अधिकारी एक शव पाता है, देखता है कि एक हत्या हुई है, एक व्यक्ति को पकड़ता है, जो हत्या करने के बाद भाग रहा है और उस व्यक्ति से एक निषिद्ध हाथ एक अधिसूचित क्षेत्र में बरामद किया जाता है।ऐसी स्थिति में, मुख्य अपराध हत्या का अपराध है और अधिसूचित क्षेत्र में निषिद्ध हथियार ले जाने का अपराध टाडा अधिनियम के तहत द्वितीयक अपराध है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

753

एभा अर्जुन जड़ेजा और ओ. आर. एस. बनामगुजरात राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

क.

यहां, पुलिस अधिकारी जानकारी दर्ज कर सकता है और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध करने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन टाडा अधिनियम के तहत आगे बढ़ने से पहले उसे टाडा अधिनियम की धारा 20-ए (1) के तहत मंजूरी लेनी होगी।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है, नामित टाडा न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थियों को टाडा अधिनियम के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो उनके खिलाफ कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ग

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

च

जी.

एच.